प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक – 185/ 2012

याचिकाकर्ता : गौस अली बेग

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

निर्णय एवं आदेश हेतु दिनांक 16 जुलाई, 2012 को सूचीबद्ध किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक – 185/ 2012

याचिकाकर्ता : गौस अली बेग

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका

एकलपीठ: माननीय श्री न्यायाधीश सतीश के. अग्निहोत्री।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्तिथि : श्री अजय श्रीवास्तव, अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं की ओर से।

श्री अरुण साव, शासकीय अधिवक्ता — राज्य/उत्तरवादी की ओर से।

निर्णय

(16.07.2012)

माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

1. इस याचिका में दिनांक 24.11.2011 (अनुलग्नक पी/1) के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा पारित किया गया है, जिसके अंतर्गत दिनांक 17.02.2010 (अनुलग्नक पी/2) को वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दायर अपील को निरस्त कर दिया गया है, तथा साथ ही मूल आदेश दिनांक 17.02.2010 (अनुलग्नक पी/2) को भी चुनौती दी गई है, जो कि अपीलीय

आदेश दिनांक 24.11.2011 (अनुलग्नक पी/1) में विलीन हो गया है। याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 07.10.2010 (अनुलग्नक पी/3) को निदेशक, वन विद्यालय, जगदलपुर द्वारा पारित आदेश की वैधता एवं विधिसम्मतता को भी चुनौती दी गई है, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्तिक लाभों से कुल ₹8,95,909.85 की वसूली का गणना किया गया है, जिसमें से अवकाश नकदीकरण की राशि ₹89,046.00 तथा ग्रेच्युटी की 90% राशि ₹2,44,877.00 समायोजित की गई है तथा शेष राशि ₹5,61,986.85 को याचिकाकर्ता के पेंशनरी लाभों से वसूल योग्य बताया गया है।

2. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता वन विभाग में रेंजर के पद पर कार्यरत था। याचिकाकर्ता के विरुद्ध दिनांक 02.06.2006 को एक विभागीय जांच प्रारंभ की गई तथा उसे निलंबित कर दिया गया। जांच के लंबन के दौरान, याचिकाकर्ता का निलंबन दिनांक 10.04.2007 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसी बीच, याचिकाकर्ता दिनांक 31.03.2008 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। विधिवत जांच के पश्चात्, याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप जांच में सिद्ध पाए गए। वन संरक्षक, जो कि सक्षम प्राधिकारी है, ने समस्त अभिलेखों का परीक्षण किया तथा जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए दिनांक 17.02.2010 (अनुलग्नक पी/2) का आदेश पारित किया, जिसके अंतर्गत राजकोष को हुई हानि को ₹8,95,909.85 की राशि तक गणना किया गया। निलंबन अवधि को निलंबन अवधि के रूप में ही मान्य किए जाने का निर्देश दिया गया। इसके विरुद्ध, याचिकाकर्ता द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय प्राधिकारी ने प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार एवं परीक्षण करने के पश्चात्, याचिकाकर्ता की अपील को दिनांक 24.11.2011 (अनुलग्नक पी/1) के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश द्वारा निरस्त कर दिया। दिनांक 07.10.2010 (अनुलग्नक पी/3) के आक्षेपित आदेश द्वारा, अवकाश नकदीकरण तथा ग्रेच्युटी की राशि को समायोजित करने के पश्चात् शेष राशि ₹5,61,986.85, जैसा कि पूर्वोक्त है, को याचिकाकर्ता के पेंशनरी लाभों से वसूल किए जाने का निर्देश दिया गया। अतः, यह याचिका।

3. याचिकाकर्ता ने जांच प्रतिवेदन तथा उसके आधार पर पारित आदेश की वैधता एवं विधिसंगतता को चुनौती दिए बिना, उपर्युक्त वर्णित आक्षेपित आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 (संक्षेप में "नियम, 1976") के नियम 9 का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि— विभागीय जांच की प्रारंभ तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर जांच पूर्ण नहीं की गई, तथा उपर्युक्त वर्णित वसूली का आदेश, नियम 9, नियमावली 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित रूप से राज्यपाल द्वारा पारित नहीं किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव, ने यह तर्क किया कि आक्षेपित आदेश वन संरक्षक द्वारा पारित किया गया है, जो कि नियम 9(2)(ए), नियमावली 1976 के अंतर्गत लगाए गए प्रतिबंधों के प्रकाश में विधिसंगत नहीं है तथा कायम रखे जाने योग्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इसके विपरीत, राज्य/उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित, विद्वान अधिवक्ता, श्री साओ ने यह तर्क प्रस्तुत किया हैं कि याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्त होने से पूर्व उसके विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ की गई थी तथा विस्तृत जांच के उपरांत वन संरक्षक, जगदलपुर द्वारा दिनांक 17.02.2010 का आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 65 के अंतर्गत याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति लाभों से ₹8,95,909.85 की राशि की वसूली का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि दिनांक 02.06.2006 से 09.04.2007 तक की निलंबन अवधि

को छत्तीसगढ़ मूलभूत नियमों (Chhattisgarh Fundamental Rules) के प्रावधानों के अनुसार निलंबन अवधि ही माना जाएगा। वन संरक्षक द्वारा पारित दिनांक 17.02.2010 के आदेश को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समक्ष चुनौती दी गई, जिसे पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात निरस्त कर दिया गया। यह भी तर्क किया गया कि विभागीय जांच में किसी प्रकार की कोई त्रुटि अथवा प्रक्रिया संबंधी अनियमितता नहीं है। नियम 9, नियमावली 1976 के उप-नियम (4) के परंतुक का वर्तमान मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है, क्योंकि विभागीय कार्यवाही के प्रारंभ से पूर्व याचिकाकर्ता की पेंशन का अंतिम रूप से स्वीकृत नहीं किया गया था। चूँकि विभागीय कार्यवाही याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्त होने से पूर्व प्रारंभ की गई थी, अतः याचिकाकर्ता का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है। नियम 1976, का नियम 9(2)(क) पूर्ण विभागीय जांच के पश्चात अंतिम आदेश पारित करने से वन संरक्षक को प्रतिबंधित नहीं करता। आक्षेपित आदेशों में कोई दोष या अवैधता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति से पूर्व अपने समस्त बकाया दायित्वों का भुगतान करना आवश्यक होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनो (pleadings) एवं उनके साथ संलग्न दस्तावेज़ों (documents) का अवलोकन किया गया।

6. नियम, 1976 के नियम 9 में राज्यपाल को प्रदत्त उस अधिकार का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत नियम 9 के उप-नियम (1) के अनुसार पेंशन को रोके जाने अथवा वापस लिए जाने की शक्ति निहित है। संदर्भ की सुविधा हेतु, नियम, 1976 के नियम 9 को नीचे उद्धृत किया जा रहा है, जो इस प्रकार है—

नियम 9. पेन्शन को रोकने अथवा वापस लेने का राज्यपाल का अधिकार (Right of Governor to withhold or withdraw Pension) - (1) पेन्शनर द्वारा उसकी सेवा के दौरान जिसमें सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्ति पर की गई सेवा भी शामिल है, विभागीय अथवा न्यायालयीन कार्यवाही में जिसमें यह पाया जाय कि पेन्शनर गम्भीर दुराचरण अथवा लापरवाही का दोषी है, शासन को पहुँचाई गई धन सम्बन्धी हानि, यदि कोई हो, के लिए स्थायी रूप से अथवा किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये पेन्शन अथवा उसके किसी अंश को रोकने के लिये पेन्शन वापस लेने और पूर्ण आदेश पारित करने के लिये राज्यपाल स्वयं के अधिकार सुरक्षित रखते हैं :

परन्तु यह कि अन्तिम आदेश पारित करने के पूर्व राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परन्तु आगे यह और भी कि जहां पेंशन का कोई अंश रोका अथवा वापस लिया जाता है, तो ऐसी धनराशि न्यूनतम पेंशन जैसा कि समय-समय पर शासन द्वारा गणना की जावे, से कम नहीं होगी ।

(2) (ए) विभागीय कार्यवाहियां यदि शासकीय सेवक के सेवा में रहते हुए चाहे सेवानिवृत्ति के पूर्व अथवा उसकी पुनर्नियुक्ति के दौरान संस्थित की गई हों तो इस नियम के अधीन शासकीय सेवक के सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी कार्यवाहियां चालू मानी जावेंगी और वे जिस प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भ की गई थीं उसी के द्वारा और उसी प्रकार से जैसा कि शासकीय सेवक सेवा में रहता; चालू रहेंगी और निर्णीत की जावेंगी :

परन्तु यह कि जहां विभागीय कार्यवाहियां राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा संस्थित की गई हैं तो वह प्राधिकारी उसके निष्कर्षों को अंकित कर राज्यपाल को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा

(बी) यदि शासकीय सेवक के सेवा में रहते हुए चाहे सेवानिवृत्ति के पूर्व अथवा उसकी पुनर्नियुक्ति के दौरान, विभागीय कार्यवाही संस्थित नहीं की गई है तो-

(i) राज्यपाल की स्वीकृति के बगैर संस्थित नहीं की जावेगी;

(ii) ऐसे संस्थापन के पूर्व चार वर्ष के पहिले घटित किसी घटना के बारे में नहीं होगी;

(iii) तथा विभागीय कार्यवाहियों को लागू प्रक्रिया के अनुसार, ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे स्थान पर संचालित की जावेंगी, जैसा शासन निर्देशित करे-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1)जिसमें शासकीय सेवक को उसकी सेवा के दौरान के संबंध में सेवा से पदच्युत करने का आदेश दिया जा सकता है, उस मामले में जब पेंशन अथवा उसके भाग को चाहे स्थाई रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिये रोकना अथवा वापस लेना प्रस्तावित था; अथवा

(ब) जिसमें यदि उसकी पेंशन से शासन को पहुंचाई गई आर्थिक हानि की पूर्ण अथवा भाग की वसूली का आदेश प्रस्तावित किया गया था शासकीय सेवक को उसकी सेवा के संबंध में उसकी लापरवाही अथवा आदेश भंग के कारण हुई आर्थिक हानि की पूर्ण अथवा भाग को उसके वेतन से वसूल करने का आदेश किया जा सकता है।

(3) शासकीय सेवक जब सेवा में था, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति के अथवा उसकी पुनर्नियुक्ति के पहले उत्पन्न वाद-कारण के बारे में अथवा ऐसे संस्थापन के चार वर्ष से अधिक पहले घटित किसी घटना के बारे में न्यायिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जावेगी ।

(4) उन मामले में जहां शासकीय सेवक अधिवार्षिकी आयु पर पहुंचने या अन्यथा से सेवानिवृत्त हुआ है, तथा जिसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां संस्थित हैं अथवा जहां विभागीय कार्यवाहियां उपनियम (2) के अधीन निरन्तर हैं, अनन्तिम पेंशन और मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति उपदान, जैसा नियम 64 में उपबंधित है, मंजूर होगा :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[परन्तु यह कि जहां विभागीय कार्यवाहियां संस्थित करने के पूर्व ही शासकीय सेवक को उसकी पेंशन अंतिम रूप से स्वीकृत की जा चुकी है, तो राज्यपाल, लिखित आदेश द्वारा, ऐसी विभागीय कार्यवाहियां संस्थित करने की तिथि से इस प्रकार स्वीकृत पेंशन का पचास प्रतिशत, इस शर्त के साथ रोक सकता है कि ऐसी रोक के बाद पेंशन न्यूनतम पेंशन जैसा कि समय-समय पर शासन द्वारा गणना की जावे, से कम नहीं होगी :]

परन्तु यह और भी कि, जहां विभागीय कार्यवाही दिनांक 25-10-1978 के पूर्व संस्थित हुई हो तो प्रथम परन्तुक इस प्रकार से प्रभावशील होगा जैसे “ऐसी कार्यवाही संस्थित होने के दिनांक से” शब्दों के लिये “उपर्युक्त दर्शित तिथि से 30 दिनों से अधिक विलम्ब होने के दिनांक से प्रभावशील होगा” शब्द प्रतिस्थापित थे:

परन्तु यह और भी कि,

(ए) यदि विभागीय कार्यवाही संस्थित होने के दिनांक से एक वर्ष में पूर्ण नहीं होती है तो उपर्युक्त एक वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् रोकी गई पेन्शन का 50% पुनः स्थापित हो जावेगा।

(बी) यदि विभागीय कार्यवाही संस्थित होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि में पूर्ण नहीं होती है तो उपर्युक्त दो वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् रोकी गई पेन्शन की पूर्ण धनराशि पुनः स्थापित हो जावेगी;

(सी) यदि विभागीय कार्यवाही में अन्तिम आदेश पेन्शन को रोकने अथवा वापस लेने अथवा • उसमें से कोई वसूली करने के लिये पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश विभागीय कार्यवाही के संस्थित होने की तिथि से ही प्रभावशील हुआ समझा जावेगा और पेन्शन की धनराशि जो अब तक रोकी गई है, नियम 43 के उपनियम (2) में विहित सीमाओं के अधीन, अन्तिम आदेश की शर्तों के अनुसार समायोजित की जावेगी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) जहां शासन, पेंशन को रोकने अथवा वापस लेने का निर्णय नहीं करता है, बल्कि पेंशन से आर्थिक क्षति की वसूली के लिये आदेशित करता है तो शासकीय सेवक की सेवा निवृत्ति की तिथि पर स्वीकार्य पेंशन की एक तिहाई से अधिक की दर से उसकी वसूली नहीं की जावेगी ।

(6) इस नियम के उद्देश्य हेतु –

(ए) जिस दिनांक को शासकीय सेवक अथवा पेंशनर को आरोप-पत्र जारी किया जाता है अथवा यदि शासकीय सेवक पूर्व तिथि से ही निलम्बन में है तो उस तिथि से विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई मानी जावेगी;

(बी) न्यायिक कार्यवाही संस्थित मानी जायेगी-

(i) आपराधिक कार्यवाही के प्रकरण में उस तिथि से जिस दिन पुलिस अधिकारी को शिकायत अथवा रिपोर्ट की जाती है; जिस पर कि मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है;

(ii) और दीवानी कार्यवाहियों के प्रकरण में वह तिथि जब न्यायालय में वाद-पत्र प्रस्तुत किया जाता है ।

7. नियम, 1976 के नियम 9(1) के उपबंधों का, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, साधारण पठन करने से यह स्पष्ट होता है कि राज्यपाल अपने लिए यह अधिकार सुरक्षित रखते हैं कि यदि पेंशनभोगी को अपनी सेवा अवधि के दौरान गंभीर दुराचार या लापरवाही का दोषी पाया जाता है, तो वे पेंशन को या उसके किसी भाग को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अथवा स्थायी रूप से रोक सकते हैं या वापस ले सकते हैं तथा सरकार को हुई किसी भी वित्तीय हानि की संपूर्ण या आंशिक राशि की वसूली पेंशन से करने का आदेश दे सकते हैं। नियम, 1976 के नियम 9 के उप-नियम 2(ए) के अधीन, यदि कोई विभागीय कार्यवाही उस समय प्रारंभ की गई हो जब शासकीय सेवक सेवा में था, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व या उसके पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान, तो ऐसी कार्यवाही को इस नियम के अधीन की गई कार्यवाही माना जाएगा और उसे उसी प्राधिकारी द्वारा, जिसके द्वारा वह प्रारंभ की गई थी, उसी प्रकार जारी रखा जाएगा और निष्कर्षित किया जाएगा, मानो शासकीय सेवक सेवा में निरंतर बना रहा हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. नियम, 1976 के नियम 9 के उप-नियम 2(ए) के परंतुक में यह उपबंध किया गया है कि यदि विभागीय कार्यवाही राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा प्रारंभ की जाती है, तो वह प्राधिकारी अपने निष्कर्षों के संबंध में एक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। नियम, 1976 के नियम 9 का उप-नियम 2(बी) प्रकरण के तथ्यों पर सुसंगत नहीं है। नियम, 1976 के नियम 9 का उप-नियम (4), नियम 64 के अंतर्गत प्रावधानित अनुसार,

अस्थायी पेंशन तथा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान (ग्रेच्युटी) के भुगतान का उपबंध करता है। नियम, 1976 के नियम 9 के उप-नियम (4) के परंतुक में यह उपबंध किया गया है कि जहाँ किसी शासकीय सेवक को विभागीय कार्यवाही की स्थापना से पूर्व पेंशन का अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाना हो चुका है, वहाँ राज्यपाल लिखित आदेश द्वारा, जो ऐसी विभागीय कार्यवाही संक्षिप्त किये जाने की तिथि से प्रभावशाली होगा, इस प्रकार स्वीकृत पेंशन का 50% रोक सकते हैं। तथापि, ऐसी रोक के पश्चात देय पेंशन की राशि, सरकार द्वारा समय-समय पर गणना न्यूनतम पेंशन से कम नहीं की जाएगी।

9. इस याचिका में चुनौती इस आधार पर दी गई है कि स्वयं राज्यपाल के अतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकारी को पेंशन अथवा उसके किसी भाग को रोकने या वापस लेने का अधिकार नहीं है। द्वितीयतः, विभागीय कार्यवाही राज्यपाल के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा प्रारंभ की गई थी और उस प्राधिकारी को अपने निष्कर्षों के संबंध में प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करना चाहिए था। ऐसा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए बिना, राज्यपाल के अधीनस्थ संबंधित प्राधिकारी द्वारा कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम डॉ. यशवंत त्रिंबक[1] के प्रकरण में, म.प्र. सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 के नियम 9(2)(बी)(i) के आशय एवं क्षेत्राधिकार पर का विचार किया। नियम, 1976 के समस्त उपबंधों को छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा यथावत् अंगीकृत किया गया है। यह निर्णय दिया गया कि यदि कोई आदेश राज्यपाल के नाम से व्यक्त किया गया है और विधिवत् प्रमाणीकरण किया गया है, तो उसे इस आधार पर किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता कि वह आदेश स्वयं राज्यपाल द्वारा निर्मित या निष्पादित नहीं किया गया है। संबंधित सचिव या अवर सचिव, जिसे प्रमाणीकरण नियमों के अंतर्गत दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने का अधिकार प्राप्त है, के हस्ताक्षर राज्यपाल की सहमति के साथ-साथ संबंधित मंत्री द्वारा दी गई सलाह की स्वीकृति

1 (1996) 2 SCC 305

को भी दर्शाते हैं। आगे यह भी निर्णय दिया गया कि नियम, 1976 के नियम 9(2)(बी) के उपबंधों में प्रयुक्त शब्द 'राज्यपाल' से आशय स्वयं राज्यपाल से नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166(2) के अंतर्गत गणना रीति से विधिवत् प्रमाणीकरण किया गया राज्यपाल का आदेश है। इस संबंध में निम्नानुसार निर्णय दिया गया है :—

> "18. अतः, उन विषयों को छोड़कर जिनके संबंध में संविधान द्वारा या उसके अधीन राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करना अपेक्षित है, राज्यपाल की व्यक्तिगत संतुष्टि आवश्यक नहीं है और ऐसे कार्य मंत्रियों को आबंटित किए जा सकते हैं।
>
> 19. श्री जैन का तर्क केवल इस आधार पर है कि नियम में स्वयं 'राज्यपाल' तथा 'सरकार' दोनों अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है और इसलिए नियम 9(2)(बी)(i) में प्रयुक्त 'राज्यपाल की स्वीकृति' से राज्यपाल की व्यक्तिगत स्वीकृति अभिप्रेत है। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति, नियमों के अंतर्गत प्रदत्त सरकार की एक कार्यपालिका कार्रवाही मात्र है। यह ऐसा विषय नहीं है जिसके संबंध में संविधान के अंतर्गत राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करना आवश्यक हो। इस दृष्टि से, जब राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 166(3) के अंतर्गत कार्य-विभाजन नियम बनाकर अपने कार्यों का आबंटन कर दिया है और मंत्रिपरिषद् ने प्रतिवादी के अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया है, तो हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं देखते। अधिकरण द्वारा यह निष्कर्ष निकालना कि नियम के अंतर्गत अपेक्षित स्वीकृति राज्यपाल की स्वीकृति है, विधि की दृष्टि में' त्रुटिपूर्ण था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. हमारे सुविचारित मत में, वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, नियम 9(2)(बी)(i) के अंतर्गत राज्यपाल की शक्ति का संविधान के अनुच्छेद 166(3) के अंतर्गत मंत्रिपरिषद् के पक्ष में विधिवत् आबंटन किया जा चुका है और उक्त मंत्रिपरिषद् ने प्रतिवादी के अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया है।"

11. मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम आर.एल. ओगले एवं अन्य[2]के प्रकरण में, जिसे याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत किया गया है, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने निम्नानुसार निर्णय दिया है :—

"8. नियम, 1976 के नियम 9 के उप-नियम (2)(ए) के परंतुक से यह पूर्णतः स्पष्ट होता है कि जहाँ विभागीय कार्यवाही राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा प्रारंभ की जाती है, वहाँ वह प्राधिकारी अपने निष्कर्षों के संबंध में एक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। अतः, वर्तमान प्रकरण में, मूल प्रतिवादी के सेवानिवृत्त होने से पूर्व विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने वाले वन संरक्षक को केवल उसी कार्यवाही को जारी रखने एवं पूर्ण करने तथा विभागीय कार्यवाही में अपने निष्कर्षों के संबंध में राज्यपाल को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार था, किंतु उसे मूल प्रतिवादी से ₹4,10,071.84 की हानि की वसूली हेतु अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार प्राप्त नहीं था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम डॉ. यशवंत त्रिंबक (उपर्युक्त) में उच्चतम न्यायालय द्वारा तर्क सिद्धांत (ratio) को learned खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः, विद्वान् युगलपीठ ने उस अन्य पहलू पर विचार नहीं किया कि यदि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166(2) के अंतर्गत विधिवत् प्रमाणीकरण किया गया कोई आदेश

---

2 2006 (2) MPHT 202 (DB)

राज्यपाल के नाम से पारित किया गया हो, तो क्या ऐसा आदेश नियम, 1976 के नियम 9 के अंतर्गत परिकल्पित अनुसार राज्यपाल द्वारा पारित माना जाएगा।

13. अतः नियम, 1976 के नियम 9(1), नियम 9(2)(ए), नियम 9(2)(ए) के परंतुक तथा नियम 9(4) के उपबंधों के साधारण पठन से यह स्पष्ट है कि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पूर्व प्रारंभ की गई विभागीय जांच को इस नियम के अधीन की गई कार्यवाही माना जाएगा और उसे उसी प्राधिकारी द्वारा, जिसके द्वारा वह प्रारंभ की गई थी, उसी प्रकार जारी रखा जाएगा और निष्कर्षित किया जाएगा, मानो शासकीय सेवक सेवा में निरंतर बना रहा हो। तथापि, विभागीय जांच के समापन के पश्चात, वह प्राधिकारी अर्थात् वन संरक्षक, जो राज्यपाल के अधीनस्थ है, कोई आदेश पारित नहीं कर सकता, बल्कि उसे अपने निष्कर्षों सहित एक प्रतिवेदन सरकार (राज्यपाल) को प्रस्तुत करना होगा और सरकार, जैसा कि मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम डॉ. यशवंत त्रिंबक (उपर्युक्त) में उच्चतम न्यायालय द्वारा भली-भांति स्थापित किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166(2) के अनुसार, आदेश पारित करने हेतु सक्षम है। वर्तमान प्रकरण में, चूँकि कोई भी आदेश राज्यपाल के नाम से व्यक्त नहीं किया गया है और न ही उसका विधिवत् प्रमाणीकरण किया गया है, अतः आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में स्थिर नहीं रह सकता तथा किसी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अंतिम आदेश वन संरक्षक द्वारा पारित किया गया है, जिसके द्वारा पेंशनरी लाभों से राशि की वसूली का निर्देश दिया गया है। किसी भी दस्तावेज़ से यह संकेत नहीं मिलता है और न ही यह उत्तरवादियों का मामला है कि उक्त आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 166(2) के अंतर्गत विधिवत् प्रमाणीकरण सहित सरकार द्वारा पारित किया गया था। अतः, यदि कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के गणना अनुसार सचिव या अवर सचिव द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 166(2) के तहत प्रावधान अनुसार

प्रमाणीकरण कर कोई आदेश पारित किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि ऐसा आदेश नियम, 1976 के नियम 9 के अंतर्गत परिकल्पित अनुसार राज्यपाल द्वारा पारित किया गया है। परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेश दिनांक 24.11.2011 (अनुलंगंक P/1), 17.02.2010 (अनुलंगंक P/2) तथा 07.10.2010 (अनुलंगंक P/3) अभिखंडित किए जाते हैं।

15. परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है तथा व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Ankita Jangde, Advocate